पुलिस द्वारा जन जातीय क्षेत्र स्पिति की महिलाओं पर कानून कार्यवाही तथा राजनैतिक और प्रशासनिक रवैये का खंडन
जन जातीय क्षेत्र स्पिति के महिला मंडलों के संघर्ष के समर्थन में खुला पत्र

9 जून को जन जातीय क्षेत्र स्पिति के मुख्यालय काज़ा में महिला और युवा प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में बाहर से लोगों के प्रवेश को लेकर तीव्र विरोध प्रदर्शन किया था. हांलाकि महिला मंडल, युवा मंडल और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देने पहुंचे थे पर जब उन्हें अचानक पता चला की स्थानीय विधायक व कृषि और जन जातीय मंत्री श्री राम लाल मारकंडे भी क्षेत्र में उसी वक्त प्रवेश कर रहे थे और 15 गाड़ियों में सहयोगी दल का जत्था भी उनके साथ था तो उन्होंने इस प्रकार से स्थानीय समुदायों द्वारा घोषित लॉकडाउन की अव्हेलना के खिलाफ प्रदर्शन किया और मंत्री जी के प्रवेश को रोका.

लॉक डाउन जारी रखने के पीछे की स्थानीय सोच और समझ

पिछले तीन माह से स्पिति के लोगों ख़ास कर महिलाओं ने कोविड महामारी से अपने क्षेत्र को बचाने के लिए सक्रिय तौर पर स्थानीय कदम उठाये हैं. कोविड और लॉकडाउन पर जागरूकता और पहल लेने का काम मुख्य रूप से क्षेत्र के महिला मंडलों ने किया. चाहे फिर गैर स्थानीय लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ ही क्षेत्रीय व्यक्ति के बाहर से प्रवेश करने पर 15 दिन क्वारनटाईन प्रक्रिया को सफल रूप से लागू करने की बात हो या फिर कृषि में व्यावसायिक नगदी फसलों की जगह पारम्पारिक अनाज की खेती करने का निर्णय. प्रशासन के साथ मिलकर कोविड को लेकर जन जागरूकता के लिए काम हो या फेस मास्क बना कर क्षेत्र में वितरण करना, महिला मंडलों ने हर प्रयास में नेतृत्व के साथ भागीदारी दी.

हालांकि जून के पहले हफ्ते से देश और राज्य में सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील लाने का निर्णय लिया गया था परन्तु महामारी के फैलाव को देखते हुए हिमाचल के स्पिति जन जातीय क्षेत्र में जनता की आम सहमति के बाद लॉकडाउन को पूर्ण रूप से जारी रखा गया. ग़ौरतलब है कि स्पिति एक सीमान्त व संवेदनशील क्षेत्र है जहां की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत नाज़ुक हैं. न केवल जन स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है पर क्षेत्रीय दुर्गमता के चलते ऐसी सुविधा तक पहुँच भी मुश्किल है , जिसके चलते कोविड जैसी महामारी क्षेत्र के लोगों के लिए घातक साबित हो सकती है. रोज़मर्रा की ज़रूरतों और आजीविकाओं के लिए यहाँ का समाज एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है और पारिवारिक ढाँचा भी ऐसा है कि शारीरिक दूरी बनाना असंभव है. पर्यटन के लिए मशहूर होने की वजह से लोगों को यह भय भी था कि लॉकडाउन खुलते ही कहीं बाहर से लोगों का आना शुरू न हो जाए.

इसी सोच और संदर्भ में 17 मार्च को क्षेत्र के अलग अलग संगठनों, युवा मंडल , महिला मंडल, स्वयंसेवी संस्थाएं, पंचायत प्रतिनिधि, गाँव के नम्बरदार और 5 गोम्पा के लामाओं ने मिल कर क्षेत्र को कोरोना मुक्त रखने, लॉकडाउन को प्रभावी बनाने व बाकी संबंधित निर्णय को लेकर कमेटी का भी गठन किया. समिति ने यह निर्णय भी लिया था कि सारे नियम तथा दिशा निर्देश सभी लोगों पर सामान रूप से लागू होंगे.

9 जून के विरोध प्रदर्शन का कारण

परन्तु क्षेत्र की जनजातीय सलाहकार समिति (TAC) के कुछ सदस्यों ने जून के पहले माह में स्थानीय कमेटी और महिला मंडल की आपत्तियों के बावजूद बाहर से मज़दूर लाना शुरू कर दिया था. सलाहकार समिति के नकारात्मक रवैये से परेशान महिला मंडल, युवा एवं व्यापार मंडल स्थानीय प्रशासन के सामने अपनी शिकायत व आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 9 जून को काज़ा मुख्यालय में एकत्रित हुए थे जहाँ उन्हें यह जानकारी दी गयी की सभी प्रशासन अधिकारी काज़ा प्रवेश द्वार पर मिलेंगे .मौके पर पहुँच उन्हें जब यह ज्ञात हुआ की स्थानीय विधायक व कृषि मंत्री भी अपने जत्थे संग क्षेत्र में पहुंचे हैं तब लोगों ने हाइवे जहां से कृषि मंत्री और उनके दल की गाड़ियाँ प्रवेश कर रही थीं वहां ज़ोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों के अनुसार उन्होंने मारकंडे जी से कई बार अपने क्षेत्र की संवेदनशीलता की बात

रखी और बिमारी के फैलाव को लेकर उन्हें याद दिलाया की वो राजनैतिक भ्रमण पर रहते हैं और अभी शिमला से आये हैं जहां कोरोना के कई केस आ चुके हैं . उन्होंने कृषि मंत्री से अपील की कि यदि क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उनको भी 15 दिन क्वारनटायिन के नियम का पालन करना होगा वरना उन्हें और उनके दल को वापिस लौटना होगा. इससे यह बात स्पष्ट है कि यह कोई राजनैतिक उद्देश्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से किया गया प्रदर्शन नहीं था और नाही महिलाओं की मंशा मंत्री जी को घेरने की थी. बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा को लेकर चल रही स्थानीय मुहिम के तहत समुदाय के अस्तित्व के बचाव में उठाया एक सहज कदम था जिसके कारण मंत्री जी को वापस लौटने को कहा गया. मुद्दे की गंभीरता और महिला मंडल और युवा मंडल के विरोध प्रदर्शन की वैधता को समझते और उसका सम्मान करते हुए, मंत्री जी ने वापस लौटने का फैसला किया |

महिला मंडल के सदस्यों का सरकार द्वारा उत्पीड़न और पुलिस कार्यवाही निंदनीय

जब एक छोटे से क्षेत्र के लोग इस तरह के सकारात्मक प्रयास करते हैं तो सरकार और उसके नुमाइंदों का नैतिक फ़र्ज़ है कि इस में स्थानीय जनता का सहयोग करें. परन्तु यह अत्यंत निंदनीय व निराशाजनक बात है कि 9 जून के प्रदर्शन के बाद क्षेत्र के महिला मंडलों पर लगातार दबाव बना कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है. इसमें न केवल महिलाओं को मंत्री जी से माफ़ी मांगने के लिए प्रशासन तथा पार्टी के प्रतिनिधियों ने लगातार दबाव डाला बल्कि सरकारी विभागों के माध्यम से जिन स्थानीय महिला कर्मियों ने प्रदर्शन में भाग लिया उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गए. यहाँ तक की 21 जून को महिलाओं को काज़ा पुलिस थाने में पेश होने के लिए सम्मन दिया गया जिसमें धारा 341, 143, 188 का मुकदमा पुलिस द्वारा पंजीकृत होने की खबर महिलाओं को मिली. यह कानूनी कार्यवाही काज़ा के महिला मंडलों के लगभग 190 महिलाओं पर की गयी है.

प्रशासन और पुलिस की यह कार्यवाही न केवल बेबुनियादी तरीके से जन जातीय समाज की महिलाओं को दबाने का प्रयास है बल्कि सत्ता के अहंकार और दोगले व्यवहार का सबूत भी है | जहाँ एक तरफ प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा IPC की कड़ी धाराएँ लगायी गयी हैं वहीं दूसरी और जब स्पिति की महिलाओं ने कृषि मंत्री द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन का विरोध किया तो उलटा उन्हीं पर क़ानूनी कार्यवाही की जा रही है| प्रशासन और पुलिस द्वारा ज़ारी यह कार्यवाही सरासर गलत है और सरकार और सत्ता में बैठे प्रतिनिधियों की पुरुषवादी और गैर-बराबरी की मानसिकता को दर्शाती है | - हम स्पिति की महिलाओं का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और इस सरकार और पुलिस द्वारा ज़ारी नाजायज़ कार्यवाही का घोर खंडन करते हैं. महिलाओं को चुन-चुन कर उन पर मामले दर्ज कर के प्रशासन ने यह साबित कर दिया है कि यह कार्यवाही महिलाओं और जनजातीय समाज में भय पैदा करने, फूट डालने और उनकी स्थानीय मुहिम को कमज़ोर करने के लिए की गयी है.

ध्यान देने की बात है की हमारे देश में जन जातीय क्षेत्रों और समुदायों को एक ख़ास संवैधानिक दर्जा और कानूनी शक्तियां दी गयी हैं . स्पिति जन जातीय क्षेत्र की महिलाओं ने अपने समाज और क्षेत्र की सुरक्षा में बखूबी भागीदारी निभायी है और हम उनके द्वारा उठाये गये कदम का पूर्ण समर्थन करते हैं. हम समझते हैं कि यदि इस संवेदनशील क्षेत्र में कोरोना जैसी महामारी फैलती है तो यह जनजातीय समाज के लिए भयानक होगा. इसका सबसे बड़ा बोझ महिलाओं के कन्धों पर ही होगा क्योंकि गाँव -परिवार में भरण पोषण और देखभाल के काम का ज़िम्मा असमान रूप से महिलाओं के हिस्से में आता है. यही नहीं इस पूरे जन स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए पूरे राज्य और देश में महिला मंडलों, आशा वर्कर और अन्य महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने मुश्किल परिस्थितियों में भी सक्रिय भूमिका निभायी हैं और नेतृत्व की सराहनीय मिसाल रखी है . हम मानते हैं कि स्पिति की महिलाओं के खिलाफ प्रशासन व राज्य तंत्र द्वारा उठाया गया कदम हमारे समाज की सभी महिलाओं का अपमान व उनके आत्म सम्मान पर सीधा वार है.

यह अत्यंत शर्म की बात है कि राजनैतिक पार्टियों द्वारा हमेशा ही महिलाओं को वोट बैंक के रूप में और पुरुष समाज के नेतृत्व को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. राजनैतिक नेताओं के स्वागत के लिए महिलाओ को आगे किया जाता है और अपने अस्तित्व की रक्षा को लेकर नेताओं के सामने प्रदर्शन करने पर उन्ही महिलाओं को कानूनी कार्यवाही और अपमान का सामना करना पड़ता है

– यह राज्य के पितृसतात्म्क स्वरूप को दर्शाता है. ऐसे में महिलाएं एक लोकतांत्रिक समाज की नागरिक कैसे बन पायेंगी – जब उनको निर्णायक भूमिका लेने पर निशाना बनाया जाता है, उनका दमन किया जाता है?

हम मांग करते हैं कि काज़ा पुलिस द्वारा इन मुकदमों को तुरंत वापिस लिया जाए और किसी भी माध्यम से स्थानीय महिलाओं को डराना धमकाना, अपमानित व प्रताड़ित करना बंद किया जाए वरना हम इस मामले के विरोध में महिला आयोग और जन जातीय आयोग में शिकायत कर इस को उच्च स्तर पर उठाने पर मजबूर होंगे.

साथ ही हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से जन जातीय मंत्री श्री रामलाल मारकंडे इस स्थानीय मुहिम का सम्मान करते हुए, महिलाओं के प्रदर्शन को समझते हुए उस दिन वापस लौटे उसी प्रकार वो स्थानीय प्रशासन और TAC को भी महिलाओ द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शन के निर्णय का आदर करने व महिलाओं पर जारी हर प्रकार की दमनकारी कार्यवाही को रोकने के लिए आगे आयेंगे |

हम, प्रदेश के विभिन्न महिला संगठन, स्पिति महिला मंडलों कि इस पहल व संघर्ष में उनके साथ है और उन पर हो रहे निरंतर दमन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे.

1. रतन मंजरी, अध्यक्षा, महिला कल्याण परिषद्, किन्नौर
2. निर्मल, एकल नारी शक्ति संगठन, हिमाचल प्रदेश
3. विमला विष्वप्रेमी, पर्वतीय महिला अधिकार मंच हिमाचल
4. लता देवी, पर्वतीय महिला अधिकार मंच, सराज
5. सकीना एवं नानकी भारद्वाज पर्वतीय महिला अधिकार मंच, बैजनाथ
6. आभा भैया, जागोरी ग्रामीण, हिमाचल प्रदेश
7. मांशी आशर, हिमशी सिंह, अदिति वाजपेयी, हिमधरा पर्यावरण समूह
8. रितिका ठाकुर, रंजोत कौर, हिमालयन स्टूडेंट्स एन्सेम्बल
9. सर्व शक्ति संगम, नालागढ़, सोलन
10. सर्व शक्ति संगम, धरमपुर, सोलन
11. एकल नारी कृषि सहकारी सभा, उना
12. एकल नारी शक्ति संगठन, कांगड़ा
13. एकल नारी शक्ति संगठन, बिलासपुर
14. एकल नारी शक्ति संगठन, मंड
15. महिला मंडल पल्युर, चंबा
16. महिला मंडल टीपरा, चंबा
17. केसांग ठाकुर, स्वायत शोधकर्ता, लाहौल
18. आत्रेयी, सामाजिक कार्यकर्ता
19. आयुषी नेगी, सहायक प्रोफेसर
20. अदिति पिंटो, सामाजिक कार्यकर्ता, शोधकर्ता

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: मांशी आशर: 8988275737 | हिमशी सिंह: 9867348307